<u>प्रेस नोट</u>
<u>साइबर जागरूकता अभियान</u>
<u>दिनांक 16.12.2024</u>

<u>ऑपरेशन "साइबर कवच'' के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा श्री गांधी इण्टर कालेज के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–</u>

आज दिनांक 16.12.2024 को जनपदीय साइबर सेल द्वारा गांधी इण्टर कालेज गोण्डा में छात्र–छात्राओं साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जनपदीय साइबर सेल के साइबर एक्सपर्ट हरिओम टण्डन द्वारा बच्चों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम छात्र/छात्राओं को <u>NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।</u>

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 16.12.2024</u>
<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण–</u>

<u>महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक–</u>

<u>महिलाएं/बालिकाएं/बेटियां हो स्वावलंबी, उनकी हो सुरक्षा, हो उनका सम्मान, शासन की है महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो व स्कूलों में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओंध्बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार–बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 16.12.2024 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुड टच–बैड टच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया तो बच्चो द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं प्रकट की गईं। बच्चो को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर–1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओंध्बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों– 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 16.12.2024

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद नाजायज चाकू व 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–326/24, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों–01. मुन्ना सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह नि0 ऐली परसौली थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा, 02. ताराचन्द्र पुत्र हनुमान यादव नि0 ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा, 03. शोभित पुत्र कृष्ण कुमार नि0 बच्ची मांझा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद नाजायज चाकू व 01 अदद घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01/02.12.2024 की रात्रि वादी बृजश्याम सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह नि0 ग्राम पोस्ट सिधौरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा, विजयपाल व रैदास का मोबाइल फोन अज्ञात चोरों द्वारा सोते समय चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 रवि प्रकाश यादव द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 16.12.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों–01. मुन्ना सिंह, 02. शोभित, 03. ताराचन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से 03 अदद चोरी के मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल व अभियुक्त मुन्ना सिंह व अभियुक्त शोभित के कब्जे से 01–01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. मुन्ना सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह नि0 ऐली परसौली थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
02. ताराचन्द्र पुत्र हनुमान यादव नि0 ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. शोभित पुत्र कृष्ण कुमार नि0 बच्ची मांझा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–326/24, धारा 303(2),317(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद जियों कम्पनी का मोबाइल फोन।
02. 01 अदद सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन।
03. 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन।
04. 02 अदद नाजायज चाकू।
05. 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 सुमित कुमार सिंह।
02. उ0नि0 रवि प्रकाश यादव।
03. उ0नि0 अभिलेख तिवारी।
04. उ0नि0 अमित यादव।
05. हे0का0 मुस्ताक अहमद।
06. का0 पीयूष यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>